आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......05..../17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.2.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में नवहट्टा थाना कांड संख्या–51/17 दिनांक–13.03.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि नवहट्टा थाना अन्तर्गत थानाध्यक्ष द्रवेश कुमार यादव अपने अधिनस्थ थाना रिजर्व बल के सि0 194 शत्रुध्न सिंह, सि0 522 सुनील कुमार, सि0 155 संजय कुमार, सि0 539 रणविजय रजक के साथ दिवा गश्ती के क्रम में रामनगर भरना चौंक पर काला–उजला रंग की बिना नंबर की मोटर साईकिल पर तीन व्यक्तियों के सवार रहने एवं बीच में बैठे व्यक्ति के हाथ में एक हरा रंग के प्लास्टिक के गैलन होने पर शक के आधार पर उन्हें रोककर पूछताछ एवं तलाशी लिया। पूछताछ में मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम शोभा पासवान बीच में बैठे व्यक्ति ने जिसके हाथ में हरा रंग का प्लास्टिक का गैलन था अपना नाम संतोष पासवान एवं पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सलिल पासवान बताया। तीनों को स्वतंत्र साक्षी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर हरा रंग के गैलन में (जो मोटर साईकिल के बीच में बैठे संतोष पासवान के हाथ में था) करीब 02 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुआ। उक्त बरामद समान (देशी शराब) एवं उक्त शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त उक्त मोटर साईकिल जिसका इंजन नं0 HA10ERG4A04420 एवं चेचिस नं0 MBLHA10CGG4A04502	

11.2.18

	को विधिवत जप्त कर गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ थाना लाया गया जहाँ थाना मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया। उक्त गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों का ब्रेथ एनालाईजर से जॉच किया तो संतोष पासवान एवं शोभा कुमार पासवान के द्वारा शराब के सेवन करने की पुष्टि की गयी। गिरफ्तार उक्त तीनों अभियुक्तों एवं मोटर साईकिल को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 से अवैध देशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 से शराब का कारोवार किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उक्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 के मालिक संतोष पासवान है। जो पढ़ा लिखा एवं प्रतिष्ठित परिवार से आता है एवं सोनाटा फाईनानेस प्रा0 लि0 में बी0 ई0 पद पर दलसिंहसराय (समस्तीपुर) में कार्यरत है। वह अपने मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 से बिहरा से गॉव आ रहा था। रास्ते में गॉव का शोभा पासवान एवं सलित पासवान बिहरा एवं नवहट्टा नहर के पुल पर मिले और शोभा पासवान मोटर साईकिल चलाने लगा तथा सलित पासवान मेरे पीछे बैठ गया और मेरे हाथ में फरचुन वाला गैलन दे दिया। मैं कुछ नहीं समझ पाया कि फरचुन गैलन में क्या है। आगे चलकर पुलिस जीप आ रही थी, जो मोटर साईकिल रोका और गैलन जॉच किया जिसमें महुआ दारू 02 लीटर था जो मुझे नहीं पता था मैं फरचून समझ कर हाथ में पकड़ा था। मोटर साईकिल का कागजात छायाप्रति संलग्न है। स्पष्ट है कि मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 से देशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन अवैध शराब के कारोवार में संलिप्त है। इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है न तो ऐसा अभिकथन है और न ही इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जप्त वाहन मोटर साईकिल से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन मोटर साईकिल का अधिग्रहण किया	

11.2.17

	जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-4058 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है। 11.7.17 समाहर्त्ता, सहरसा। 11.7.17 समाहर्त्ता, सहरसा।	

समाहरणालय सरहसा

(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1096-2 / विधि, दिनांक 25-7-2017.

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.07.017

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।